IV 25/22

Signature ____ [signature]
ACC Name-Mohammad Martn
ACC Code-U.P. 14193404
ACC Address Civil Line Patti
Mobile 9838008263 License No.
Tehsil Patti District Pratapgarh

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

₹850

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP92258834365252U
Certificate Issued Date	:	17-May-2022 04:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14193404/ PATTI/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14193404757126660663S6U
Purchased by	:	BABA MAKDOOM SEWA SAMITI TRUSTEE VIJAY BAHADUR
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BABA MAKDOOM SEWA SAMITI TRUSTEE VIJAY BAHADUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	BABA MAKDOOM SEWA SAMITI TRUSTEE VIJAY BAHADUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	850 (Eight Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

₹850

Please write or type below this line

[signature]

JID 0000407604

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

संस्था का नाम– बाबा मकदूम सेवा समिति
संस्था का पता– ग्राम सदहा परगना व तहसील
पट्टी जिला प्रतापगढ़।
स्टाम्प शुल्क– 850/ रूपये।

मै विजय बहादुर यादव सुत राम अजोर यादव निवासी ग्राम सदहा परगना व तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ का हूँ जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण द्वारा कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है। जिसके लिए व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 5100/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी है तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 5100/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर

न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम बाबा मकदूम सेवा समिति (BABA MAKDOOM SEVA SAMITI) सदहा पट्टी प्रतापगढ

2. यह कि उक्त का पंजीकृत व प्रशासनिक कार्यालय ग्राम सदहा पोस्ट परगना पट्टी तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ होगा, परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।

3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 5100/– रूपये जिसे आगे ट्रस्टफण्ड कहा गया तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की

व अचल सम्पत्ति को ट्रस्टीगण और ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों लक्ष्य कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्टफण्ड तथा ट्रस्ट पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना व व्यवस्था मात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहें सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य :- 27AA 461142

1. बालक/बालिकाओं के शैक्षणित विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी बालिका जूनियर हाईस्कूल, बालिका हाईस्कूल, बालिका इण्टरमीडिएट बालिका महाविद्यालय एवं टाइपराइटर कम्प्यूटर आदि एवं उच्च शिक्षण संस्थान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।

2. बालक/बालिकाओं के शैक्षणिक विकास एवं उत्थान के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कम्प्यूटर, एडवांस टेक्नॉलाजी एवं टाइप राइटर, स्मालस्केल, इण्टस्ट्रज ट्रेनिंग सेण्टर आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसे संचालित करना।

3. कार्यक्षेत्र के बालिकाओं, युवतियों एवं महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए सिंचाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई एवं पेंटिंग आदि प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसे संचालित करना।

4. ज्ञान-विज्ञान, मौलिक, शारीरिक, मानसिक शिक्षा प्रदान कर एक सुयोग्य नागरिक बनाना।

5. नवीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विषयों एवं भाषाओं के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु समुचित व्यवस्था करना।

6. दलित, असहाय, निर्धन तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकीय सहायता तथा छात्रवृत्ति आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

7. खेलकूद, कार्यक्रमों का आयोजन व संचालन करना। एन.सी.सी. जिम्नेस्टियम स्पोर्ट्स तथा योगा का भी प्रशिक्षण का भी संचालन करना व स्टेडियम की व्यवस्था करना।

8. सदाचार तथा आध्यात्मिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

9. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना।

10. पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम बनाना व संचालन करना तथा वृक्षारोपण पर कार्यक्रम बनाना एवं संचालन करना। सफाई अभियान पर भी कार्यक्रम बनाना व उसका क्रियान्वयन करना।

11. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

12. दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा उन्मूलन, छुआछूत उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन स्वरोजगार व कृषि के विकास पर कार्यक्रम बनाना व संचालन करना।

13. एड्स जैसे भयंकर रोगों के बारे में जानकारी देना तथा उपचार हेतु समुचित व्यवस्था करना।

14. समय–समय पर नेत्र शिविर व रक्त डोनेशन शिविर, फेमिली कन्सलटेशन सेण्टर, किशोरी विकास कार्यक्रम, मैटर्निटी और बाल विकास कार्यक्रम का आयोजन करना।

15. कवार्ट, नावार्ड, अवार्ड के कार्यक्रमों का आयोजन करना।

16. परिवार कल्याण (शिक्षा) के कार्यक्रम का आयोजन करना।

17. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बच्चों को पल्स पोलियों एवं टीका–करण की व्यवस्था करना।

18. बाल श्रमिकों को मुक्त करा करके शिक्षा एवं अनाथालय आदि की व्यवस्था शासन के सहयोग से करना एवं कराने का प्रयास करना। वृद्धाश्रम की भी व्यवस्था व संचालन करना।

19. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के सहयोग से चौमुखी विकास के कार्यक्रम का आयोजन करना।

20. अल्प संख्यक एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।

21. मूकबधित, नेत्रहीन, पैरहीन, विकलांग बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क भोजन, कपड़ा आवास एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।

23. पत्र पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।

24. संगीत स्कूल व कालेज इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, कृषि कालेज, पॉलिटेक्निक कालेज, आई०टी०आई० और आई०टी०सी० इत्यादि की व्यवस्था एवं संचालन की व्यवस्था करना।

25. महिला एवं पुरुष सौन्दर्य के सम्बन्ध में शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।

26. प्रमाण पत्र एवं सर्टीफिकेट विद्यार्थियों को देना।

27. डिबेट, टूर तथा एजूकेशनल कैम्प का आयोजन करना।

28. कामर्शियल और कलात्मक एजूकेशनल क्लासेज चलाना और उसकी 146
व्यवस्था करना तथा एजूकेशनल नोट्स प्रिण्ट कराना तथा पब्लिस कराना।

29. लायब्रेरी, फिजिकल, मेडिकल एजूकेशन सोसाइटीज, लबोरेटरीज, होम साइन्स, वर्कशॉप, रिसर्च सेण्टर और अस्पताल की व्यवस्था करना और संचालन करना।

30. राष्ट्रीय एकता तथा विश्वशान्ति के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

31. शिक्षा के विकास के लिए गांव व शहरों में आंगनवाड़ी व नर्सरी, प्राइमरी स्कूल सेकेण्डरी स्कूल, हर्मिटेज स्कूल बोर्डिंग स्कूल इण्डस्ट्रियल एजूकेशनल सेन्टर, एडल्ट एजूकेशन क्लास, कामर्शियल सेन्टर की व्यवस्था व संचालन करना।

32. बालक/बालिकाओं के लिए बोर्डिंग स्कूल की व्यवस्था करना व संचालन करना। केन्द्रीय विद्यालय व नवीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना व संचालन करना। एन0सी0ई0आर0टी0 तथा सी0बी0 एस0सी0 बोर्ड की व्यवस्था व संचालन करना।

33. फूलों और फलों की खेती, सब्जियों की खेती तथा अन्य तरह की खेती के बारे में कार्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा स्वरोजगार का उत्साह बढ़ाना, उसके गार्डन तरीकों के बारे में ट्रेनिंग सेन्टर लगाना तथा उसके बारे में पूरी जानकारी देने की व्यवस्था करना आदि।

34. बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांग तथा दिमागी डिस्टर्ब लोगों के लिए आश्रम की व्यवस्था व संचालन करना।

35. कृषि भूमि तथा अन्य जमींन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्थानान्तरण करना तथा कृषिभूमि पर कृषि कार्य करना।

36. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ट्रस्ट के लिए दान लेना व दान की रसीद देना।

37. मंदिर आदि बनवाना तथा उसके रखरखाव की व्यवस्था करना तथा मेम्बर के लिए प्राकृतिक केयर सेंन्टर की व्यवस्था करना व आश्रम की व्यवस्था 50–100 एकड़ प्राकृतिक वातावरणम् कराना तथा उसका रखरखाव करना।

5. ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम पता पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है–

क्र0 नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. विजय बहादुर यादव	श्री राम अजोर यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	अध्यक्ष	विधि व्यवसाय
2. सत्य प्रकाश यादव	श्री राम अजोर यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सचिव	कृषि
3. जय प्रकाश यादव	श्री राम अजोर यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	उपसचिव	कृषि
4. विनोद कुमार यादव	श्री राम अजोर यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	कोषाध्यक्ष	कृषि
5. राम अजोर यादव	स्व श्री मकदूम यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	कृषि
6. निर्मला यादव	श्री राम अजोर यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	कृषि
7. संजीव यादव	श्री सत्य प्रकाश यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	नौकरी
8. सुनील यादव	श्री जय प्रकाश यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	कृषि
9. आरती यादव	श्री विजय बहादुर यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	नौकरी
10. रीना यादव	श्री विनोद कुमार यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	कृषि
11. प्रभात यादव	श्री जय प्रकाश यादव	सदहा पट्टी प्रतापगढ़	सदस्य	कृषि

संस्था का कार्यक्षेत्र–यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारत वर्ष होगा।

ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन–

(क) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति (चल व अचल) ट्रस्ट की समझी जाएगी। जिसे ट्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बन्धक रख सकता है। ट्रस्ट/संस्था की ओर से शपथ पत्र प्रति शपथ पत्र या विलेख पर ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।

(ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

(ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जोकि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक संबद्धता/मान्यता अथार्टीज जनपद सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम 02 आजीवन सदस्य ट्रस्ट द्वारा नामित किए जाएंगे।

ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समर्पित की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेंगे।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति:-

1. यह कि न्यासीगण को न्यासीगण को ट्रस्टफण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2. यह कि न्यासीगण ट्रस्टफण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

3. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल अध्यक्ष व सचिव की सहमति के अनसार होगा।

4. यह कि विजय बहादुर यादव सुत राम अजोर यादव उपरोक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष अध्यक्ष निवासी एवं श्री सत्य प्रकाश यादव सुत राम अजोर यादव निवासी ग्राम सदहा परगना व तहसील पट्टी प्रतापगढ

उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव को कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलाएंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का

कभी चुनाव नहीं होगा और न ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिए कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है और उसे सचिव व अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जाएगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के लिए समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।"

1. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे--

अध्यक्ष:- ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

सचिव- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर अध्यक्ष से सत्यापित करना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

2. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे-न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, समझौता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिए आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जाएगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे।

यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।

3. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से या अधिकार ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझें प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष व सचिव ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, सचिव होंगे तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

4. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट एवं उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेण्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी, परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 07 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझें बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।

6. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारण्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा

ट्रस्ट के लाभ के लिए ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर लेने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो, का पट्टा करने व धारण करना चाहें पूर्ण-स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा, परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती है। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।

9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी क्वालिफिकेशन के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

गया कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किए गए कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेण्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किए गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण न हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह कि ट्रस्ट की डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत की जाएगी।

12. यह कि एतद्द्वारा स्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियां/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किए।

मुकिर रामापति यादव के दोनों हाथ की दोनों अंगुलियों के निशान।

ट्रस्टी का नाम | मशविदाकर्ता का नाम | टाइपकर्ता का नाम

जे. पी. सिंह एड. पट्टी
17-3-022

बृजेश कुमार यादव
S/o सन्तिराम यादव
नि. ग्रा नीसा पट्टी
प्रतापगढ़
9415500377

दिनेश कुमार सरोज
पु० रामदेव सरोज
ग्रा० परिहरा पो० सरहा
पट्टी प्रतापगढ़
9453904445